बिहार विधान सभा वादवृत्त ।

भारत के संविधान के उपबंध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य-विवरण ।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में बुधवार तिथि ३ अक्तूबर १९५६ को ११ बजे पूर्वाह्न में माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ।

अल्प-सूचना प्रश्नोत्तर ।

Short notice questions and answers.

RELIEF TO POLITICAL SUFFERERS.

12. Shri DAROGA PRASAD ROY : Will the Chief Minister be pleased to state—

(1) whether it is a fact that following persons of village Panapur (Maner), P.-S. Dinapore, district Patna had taken part in the movement of 1942 :—

(1) Shri Ram Janam Roy,
(2) Shri Ram Kathin Roy,
(3) Shri Shyam Lal Roy,
(4) Shri Din Dayal Roy,
(5) Shri Amir Roy,
(6) Shri Mosaheb Roy ;

(2) whether it is a fact that they have received no relief as yet, if so, the reason for the delay ?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—(१) तथा (२) इस प्रश्न में जो ६ सज्जनों के नाम दिये हुए हैं उनमें श्री दीनदयाल राए का केस टाइम-बार्ड है चूंकि उन्होंने पोलिटिकल सफरर्स रिलीफ फंड से सहायता के लिये ३१ जुलाई १९५२ के पहले दरखास्त नहीं दी थी। जहां तक श्री राम कथिन राय, श्री राम जनम राय, श्री श्याम लाल राय, श्री अमीर राय और श्री मुसाहब राय का सवाल है इनके केसेज पर पोलिटिकल सफरर्स रिलीफ ऐडवाइजरी कमिटी ने विचार किया है और हर एक के लिये अनुदान की सिफारिश की है मगर वित्त विभाग ने अनुदान के खिलाफ राय दी है चूंकि इन सभी पोलिटिकल सफरर्स के बारे में कहा जाता है कि इनकी माली हालत अच्छी है। इसलिये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पत्र लिखा गया है कि इन ५ सज्जनों की माली हालत के बारे में वे रिपोर्ट दें। जब उनकी रिपोर्ट आ जायगी तो इनके केसेज के बारे में कार्रवाई की जायगी।

श्री दारोगा प्रसाद राय—सरकार ने जवाब में बतलाया कि पोलिटिकल सफरर्स ऐडवाइजरी कमिटी ने इन लोगों को अनुदान देने की सिफारिश की थी तो मैं यह जानना चाहता हूं कि फिर वित्त विभाग ने यह कैसे जाना कि इनकी माली हालत अच्छी नहीं है?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—वित्त विभाग में सभी कागजात जाते हैं और इसके लिये जो शर्तें हैं उनके बारे में वह विचार करता हैं। इसलिये उसको अधिकार है कि वह यह कहे कि अमुक व्यक्ति को नहीं मिलना चाहिये या मिलना चाहिये, इसलिये कि हम सिर्फ पोलिटिकल सफरर्स के नाम पर सहायता नहीं देते हैं बल्कि उनमें जिनकी माली हालत खराब रहती है उनको हम मदद देते हैं।

श्री दारोगा प्रसाद राय—मैं जानना चाहता हूं कि जब तीन-तीन मंत्री उस कमिटी में थे तो उनके फैसले को चैलेंज करने का क्या फाइनेंस डिपार्टमेंट को कोई स्टेचुटरी पावर है?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि तीन मेम्बर भी मिलकर गलती कर सकते हैं और फाइनेंस डिपार्टमेंट को यह जरूर अधिकार है कि वह यह कहे कि इसके लिये जो कायदा बनाया गया है उसके मुताबिक इनको मदद नहीं मिलनी चाहिये चूंकि इनकी माली हालत अच्छी है। इस संबंध में कमिटी हेड ऑफ दी डिपार्टमेंट से पूछ सकती है और हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से रिपोर्ट मांगी है।

श्री दारोगा प्रसाद राय—मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस संबंध में इंक्वायरी हो रही है?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—हमने तो कहा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पत्र लिखा गया है जब रिपोर्ट आ जायगी तो कार्रवाई की जायगी।

श्री गुप्तनाथ सिंह—उठाये गये कष्टों के अनुसार आप सहायता देते हैं या फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो कंडीशन्स हैं उनके मुताबिक देते हैं?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—कष्टों के अनुसार देते हैं मगर जब माली हालत किसी की अच्छी रहती है तो नहीं देते हैं।

श्री गुप्तनाथ सिंह—अगर किसी की तकलीफ कम हो और उसकी माली हालत खराब हो तो उसको आप सहायता देते हैं या नहीं?

श्री कृष्णबल्लभ सहाय—जी हां, हम देते हैं। मगर किसी की सफरिंग्स बहुत हो और उसकी माली हालत अच्छी हो तो नहीं देते हैं।

DIRECT RECRUITMENT OF UPPER DIVISION ASSISTANT IN THE SECRETARIAT.

9. **Shri BAIJNATH SINGH**: Will the Chief Minister be pleased to state—

(1) whether it is a fact that the Government of Bihar have decided to make direct recruitment to Upper Division posts in the